

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-09वीं मार्च 2022

सेवा में,

**VEER KRISHNA SAHAY, MISHOO SAHAY, ANSHU SAHAY,  
Smt MADHUR SAHAY, SUBHASH SAHAY, SAMIR ASAHAY,  
MATRIX MALL,  
70 SK SAHAY ROAD.**

**विषय:- मौजा-कोनका, प्लॉट नं0-M.S 1480, खाता नं0-00, वार्ड नं0-18,  
थाना-198, जिला-राँची में प्रस्तावित व्यावसायिक भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक  
सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित व्यावसायिक भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आड्रे हाउस, राँची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-85 दिनांक-03.03.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 2,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवन के चारों तरफ 150mm डायामेटर वाले रिग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. भवन के दोनों स्टेयरकेश लॉबियों में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक-एक वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 36-36 मी0 लम्बा होजरील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवन के बेसमेन्ट सहित सभी व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गौंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि स्प्रिंकलर के जलापूर्ति हेतु किये जानेवाले पाईपिंग व्यवस्था का संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।
8. बेसमेन्ट में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर पार्टिशन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. बेसमेन्ट में बिजली का ट्रांसफर्मर जैसे पौजीटिव प्रेशर उत्पन्न करनेवाले किसी भी उपकरण का संस्थापन नहीं कराया जाय।
10. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
11. भवन के सभी व्यावसायिक तलों को Addressable Type Smoke/Heat Detector with P.A System का संस्थापन कराया जाय। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि इसकी आवाज भवन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से सुनाई देने में सक्षम हो।
12. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम दो अदद 2850 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय। जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम 3.5 kg /CM<sup>2</sup> दाब की क्षमता हो।
13. 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
14. 180 Lpm क्षमता का एक-एक जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

15. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
16. राईजर एवं स्पिंकर के लिए अलग-अलग पम्पिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाय।
17. ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेडर से Inter Connected रहेंगे।
18. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
19. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।
20. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से हीं कराया जाय।
21. भवन के स्टेयरकेश लॉबियों में तृतीय तल पर 50 ली० क्षमता वाले एक-एक अदद वाटर मिस्ट अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
22. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले चार-चार अदद डी०सी०पी० एवं 04.5 के०जी० क्षमता के सी०ओ०टू० 02-02 अदद अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
23. भवन के सभी इलेक्ट्रिकल पैनल/उपकरणों को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
24. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो एवं भवन की उँचाई NBC मानक से अधिक न हो। भवन में Travel Distance NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
25. भवन में NBC के अनुसार अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु भवनों के सामने वाले भाग में 12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय।
26. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद सी०ओ०टू० तथा 06 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
27. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
28. प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी स्वचालित फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय।
29. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
30. भवन के प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर चेकडोर का संस्थापन कराया जाय।
31. प्रत्येक तलों के लिए अलग-अलग ए०सी० डक्ट की व्यवस्था की जाय तथा डक्ट में मानक के अनुरूप स्वचालित फायर डैम्पर का संस्थापन कराया जाय।
32. ए०सी० डक्ट में मानक के अनुरूप में स्वचालित फायर डैम्पर का संस्थापन कराया जाय।
33. सभी लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय।
34. Eccallators की अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था मानक के अनुरूप की जाय।
35. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
36. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
37. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
38. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.6 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JAGJEEWAN RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,  
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6b90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002,  
st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70,  
cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2022.03.09 12:32:12 +05'30'

**(जगजीवन राम)**

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।